

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रपक,

जयन्त कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक,
सभी कोषागार पदाधिकारी,

पटना, दिनांक 7/9/15...

विषय :- सरकारी कार्य से पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में देर रात तक अथवा अवकाश के दिन कर्तव्य पर उपस्थित रहने के फलस्वरूप उनको अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कभी-कभी अत्यावश्यक सरकारी कार्यों को निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पर देर रात तक रुकने अथवा अवकाश के दिन कर्तव्य पर उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है और ऐसी परिस्थिति में उनके लिए अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य हो जाता है । इस संबंध में पूर्व में वित्त विभागीय पत्रांक-798/वि०(2) दिनांक 11.02.2009 द्वारा अल्पाहार एवं भोजन मद में कार्यालय से क्रमशः ₹25.00 (पच्चीस) रु० एवं ₹60.00 (साठ) रु० मात्र प्रति व्यक्ति के दर की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा वित्त विभागीय पत्रांक-3318/वि०(2) दिनांक 20.04.2009 द्वारा आवश्यक निदेश दिया गया है ।

उपरोक्त दर का निर्धारण लगभग छः वर्षों पूर्व किया गया है तथा विगत छः वर्षों में भोज्य सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है । अतः समीक्षोपरान्त सरकारी कार्य से कर्तव्य पर देर रात तक अथवा अवकाश के दिन में रुककर अत्यावश्यक सरकारी कार्यों की सम्पादन हेतु कार्यालय व्यय मद से अल्पाहार के लिए ₹50.00 (पचास) रु० एवं भोजन के लिए ₹125.00 (एक सौ पच्चीस) रु० प्रति व्यक्ति का दर निर्धारित किया जाता है । उक्त अल्पाहार एवं भोजन के लिए निर्धारित राशि का वित्त विभागीय पत्रांक पत्रांक-3318/वि०(2) दिनांक 20.04.2009 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में नकद भुगतान नहीं किया जायेगा ।

वित्त विभागीय पत्रांक 798/वि०(2) दिनांक 11.02.2009 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

MK
9/9/15
(जयन्त कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
21
09/09/15